"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 अप्रैल 2009—चैत्र 13, शक 1931

भाग 3 (1)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 26 मार्च 2009

प्रारूप-चार
[नियम 5(1) देखिये]

[छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और छ. ग. न्यास नियम 1962 का नियम (5) देखिए]

क्रमांक /526/प्र -3/लोकन्यास/अविअ/2009.—चूंकि श्री मोहनलाल कोठारी ने श्री सुधर्म जैन टस्ट, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग को छ. ग. न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 4-5-2009 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है. अत: मैं, सी. एल. यादव, तहसील व जिला दुर्ग का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 25-03-2009 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्त्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार करने के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम और पता	:	श्री सुधर्म जैन ट्रस्ट, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग
2.	चल संपत्ति	:	निरंक
3.	अचल संपत्ति	:	मौजा दुर्ग में ख. नं. 533/4 रकबा 0.073 हे. भूमि एवं खसरा नंबर 534/65, 534/75 रकबा क्रमश: 2940 वर्गफीट भूमि.

सी. एल. यादव,
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव (छ. ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 17 मार्च 2009

क्रमांक/156/उपंरा/परिसमापन/2009.—चूंकि कार्यालयीन आदेश क्रमांक /उपंरा/परिसमापन/4228, दिनांक 16-8-1976 के तहत चांवल दाल उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, बेलगांव, पंजीयन क्रमांक 1802, विकासखण्ड डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव को छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर इसी अधिनियम की धारा 70(1) के अधीन श्री डी. बी. ढारगावे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है और उक्त संस्था के परिसमापक ने नियमानुसार उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71(3) के प्रावधानों के अधीन अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है तथा परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के तथ्यों से मैं संतुष्ट हूं एवं उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक एवं वांछनीय पाता हूं.

अत: मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ-5-1-99-पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ. ग. की शक्तियों का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18 की उपधारा (1) एवं (2) के विहित प्रावधानों के अंतर्गत चांवल दाल उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, बेलगांव, पंजीयन क्रमांक 1802, विकासखण्ड डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव का पंजीयन निरस्त करता हूं तथा उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाडी कारपोरेट) आज दिनांक 17-3-2009 से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 17-3-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 17 मार्च 2009

क्रमांक/155/उपंरा/परिसमापन/2009.—चूंकि कार्यालयीन आदेश क्रमांक /उपंरा/परिसमापन/1028, दिनांक 04-04-1970 के तहत तेल साबुन उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, डोंगरगढ़, पंजीयन क्रमांक 1671, विकासखण्ड डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव को छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर इसी अधिनियम की धारा 70(1) के अधीन श्री डी. बी. ढारगावे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है और उक्त संस्था के परिसमापक ने नियमानुसार उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71(3) के प्रावधानों के अधीन अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है तथा परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के तथ्यों से मैं संतुष्ट हूं एवं उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक एवं वांछनीय पाता हूं.

अतः मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ-5-1-99-पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ. ग. की शक्तियों का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18 की उपधारा (1) एवं (2) के विहित प्रावधानों के अंतर्गत तेल साबुन उद्योग सहकारी समिति मर्यादित डोंगरगढ़, पंजीयन क्रमांक 1671, विकासखण्ड डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव का पंजीयन निरस्त करता हूं तथा उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाडी कारपोरेट) आज दिनांक 17-3-2009 से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 17-3-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

एस. एल. विश्वकर्मा,
उप पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

जांजगीर, दिनांक 17 मार्च 2009

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/उपंजा/परि./08/168.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परि./193 दिनांक 13-2-2008 के द्वारा रफ्तार परिवहन सहकारी समिति मर्या., अकलतरा, जिला जांजगीर जिसका पंजीयन क्रमांक 73 दिनांक 22-7-92 है को छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री आर. के. कौशिक, पद सह. वि. अधि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जांजगीर छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग./म. प्र. शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /1/5/6/19/एफ-15 दिनांक 27-8-79 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों को जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था के निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 17-3-09 को मेरे हस्ताक्षर एवं मदमुद्रा से जारी किया गया.

जांजगीर, दिनांक 17 मार्च 2009

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/उपंजा/परि./08/169.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परि./194 दिनांक 13-3-2008 के द्वारा चिमनी ईंट खपरा उद्योग सहकारी समिति मर्या., कोटमी सोनार, जिला जांजगीर जिसका पंजीयन क्रमांक 130 दिनांक 21-1-92 है को छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री आर. के. कौशिक, पद सह. वि. अधि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जांजगीर छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग./म. प्र. शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /1/5/6/19/एफ-15 दिनांक 27-8-79 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों को जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था के निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 17-3-09 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

जांजगीर, दिनांक 17 मार्च 2009

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/उपंजा/परि./08/170.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परि./500 दिनांक 4-6-1986 के द्वारा सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्या., डोंगरी, जिला जांजगीर जिसका पंजीयन क्रमांक 30 दिनांक 10-10-73 है को छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री आर. के. कौशिक, पद सह. वि. अधि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जांजगीर छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग./म. प्र. शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /1/5/6/19/एफ-15 दिनांक 27-8-79 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों को जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था के निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 17-3-09 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

जांजगीर, दिनांक 17 मार्च 2009

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/उपंजा/परि./08/171.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परि./496 दिनांक 4-6-1986 के द्वारा उद्वहन सिंचाई सहकारी समिति मर्या., सुल्ताननार, जिला जांजगीर जिसका पंजीयन क्रमांक 35 दिनांक 24-11-73 है को छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री आर. के. कौशिक, पद सह. वि. अधि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जांजगीर छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग./म. प्र. शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /1/5/6/19/एफ-15 दिनांक 27-8-79 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों को जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था के निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 17-3-09 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

जांजगीर, दिनांक 17 मार्च 2009

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/उपंजा/परि./08/172.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परि./1097 दिनांक 31-12-02 के द्वारा आदर्श उत्खनन कामगार एवं कारीगर सहकारी समिति मर्या., मडवा, जिला जांजगीर जिसका पंजीयन क्रमांक 172 दिनांक 18-9-96 है को छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री आर. के. कौशिक, पद सह. वि. अ. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जांजगीर छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग./म. प्र. शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /1/5/6/19/एफ-15 दिनांक 27-8-79 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों को जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था के निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 17-3-09 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया.

बी. के. ठाकुर,
प्र. उप पंजीयक.

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 13 मार्च 2009

क्रमांक/परिसमापन/2009/284.—रामानंद गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, बिलासपुर, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 150 दिनांक 11-7-2003 विगत वर्षों से अकार्यशील रहने एवं निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था. कारण बताओ सूचना का जवाब प्रस्तुत नहीं होने के फलस्वरूप उक्त संस्था को परिसमापन में लाते हुए अधिनियम की धारा 70(1) के तहत श्री एम. के. बंदे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: श्री एम. के. बन्दे, परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में संस्था को पुनर्जीवित करने संबंधी सदस्यों की इच्छा होने संबंधी टीप अंकित किया है. यह भी लेख किया गया है कि संस्था द्वारा छ. ग. पंजीयक सहकारी संस्थाएं के निर्देशों तथा उपविधि के अनुरूप कार्य करने बाबत संकलित होना दर्शाया है. अत: सदस्यों की मांग के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही समाप्त करते हुए पुनर्जीवित करने संबंधी आदेश जारी करने की अनुशंसा की है. परिसमापक के प्रतिवेदन एवं कार्यालयीन टीप से सहमत हूं.

अत: मैं, डी. एस. ठाकुर, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-बी, दिनांक 26-07-99 के द्वारा पंजीयक के द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए सहकारी सोयायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(4) के तहत रामानंद गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, बिलासपुर, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 150 दिनांक 11-7-2003 जिला बिलासपुर छ. ग. को पुनर्जीवित करने का आदेश पारित करता हूं.

डी. एस. ठाकुर,
संयुक्त पंजीयक.

कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 13 मार्च 2009

क्रमांक/परिसमापन /07/1747.— छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के उपनियम 57(5) के तहत परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिये सूचना प्रकाशित की जाती है कि बिलासा कोल ईंधन सहकारी समिति मार्या., बिलासपुर छ. ग. पं. क्र. 203 दिनांक 17-2-2005 के दावेदार/लेनदार अपने दावे मय लिखित में प्रमाण 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जायेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास संस्था का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंपेंगे अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

टी. टोप्पो,
उप अंकेक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी समिति मर्या., बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 16 मार्च 2009

क्रमांक/परिसमापक/09/Q 1.— छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के उपनियम 57(5) के तहत यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि पाटिलीपुत्र गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., मोपका बिलासपुर पं. क्र. 130 दिनांक 17-5-2002 के दावेदार/लेनदार अपने दावे मय लिखित में प्रमाण इस प्रकाशन के 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है, यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्था का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

के. एस. ठाकुर,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2009.